International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-10, Issue-5 Sep - Oct – 2023
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org
Email- editor@ijesrr.org

"उत्तरप्रदेश में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की वस्तुस्थिति का समीक्षात्मक अध्ययन

Meera
Research Scholar Singhania University, Pacheri Bari (Jhunjhunu)Raj.

Dr. Sunita Yadav
Supervisor Asso. Professor Singhania University, Pacheri Bari (Jhunjhunu)Raj

सारः–

जब हम शिक्षा की बात करते है तब प्राथमिक शिक्षा की बात सबसे पहले आती है। प्राथमिक शिक्षा ही वह आधार है जिस पर व्यक्ति एवं समाज का विकास आधारित है। इसी महत्त को स्वीकार करते हुए संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 45 में इसे स्थान दिया।

प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की महान देन ''अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा है'' प्रजातंत्र को प्रभावशाली व सफलतापूर्वक चलाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी नागरिकों को एक साधारण निश्चित स्तर तक की शिक्षा सुलभ हो। जिससे वह अपना योगदान राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में दे सकें। शिक्षा मानव के सम्पूर्ण विकास का और श्रेष्ठ जीवन जीने का आधार है। शिक्षा प्रगति का सशक्त माध्यम है जो तीव्र आर्थिक प्रगति व तकनीकी उन्नति के उद्देश्यों को प्राप्त करने की नींव रखती है। किसी भी राष्ट्र के विकास की जीवनधारा को गति एवं मोड़ प्रदान करती है।

अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की पहल सर्वप्रथम 1842 में स्वीडन में की गई। इसके बाद अमेरिका 1852, नार्वे 1860, इंग्लैण्ड 1870, हंगरी, पुर्तगाल, स्विट्जरलैण्ड 1905 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया।

इसी क्षेत्र में 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग (हण्टर कमीशन) के समक्ष दादा भाई नौरोजी ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाने की मांग रखी। इसी क्षेत्र में रचनात्मक प्रयास बड़ौदा के महाराज सियाजीराव गायकवाड़ द्वारा भी किया गया। 1910 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रस्ताव गोखले ने "Imperial

Legistatie Council" के समक्ष रखा परन्तु पास नहीं हुआ। 1918 में देश में श्री विठ्ठल भाई पटेल कानून पास हुआ जिससे मुम्बई म्युनिसिपल क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। 1919 में बिहार, उड़ीसा में, 1920 में मध्यप्रदेश, 1926 में मद्रास, 1930 में बंगाल 1931 में मेसूर में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया। 1935 के ''भारत शासन अधिनियम'' के तहत् प्रान्तों में प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता का प्रयास किया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् संविधान सभा द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का संकल्प लिया गया। इससे कहा गया कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अन्दर राज्य अपने क्षेत्र में सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु होने तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।

शिक्षा का मौलिक अधिकार : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

आज भारत जिस सपने को साकार करने का प्रयत्न कर रहा है उसकी जड़ें बहुत ज्यादा पुरानी है, स्वतंत्रता के समय से ही भारतीयों ने सार्वभौमिक सार्वजनिक शिक्षा के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी थी। परन्तु ब्रिटेनी साम्राज्यवादियों ने उनकी इस माँग को ठुकरा दिया और 1870 में प्रत्येक ब्रिटेनी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को कानूनी रूप दे दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ब्रिटेनी साम्राज्य बचा रहे और उपनिवेशों पर अपना अधिपत्य बनाए रखे। फिर भी भारतीयों ने अपनी माँग जारी रखी। 18 मार्च 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान के लिए एक प्रस्ताव साम्राज्यवादी वैधानिक परिषद् में रखा।

''मैं परिषद् के सामने सोच–विचार के लिए निम्न निवेदन करता हूँ, राज्य को इस देश के लिए जन शिक्षा के संबंध में वैसी ही जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए जैसी जिम्मेदारी अधिकतर सभ्य देशों की सरकारें निभा रही है और साथ ही विचारपूर्वक एक योजना बनानी चाहिए और जब तक वह लागू न हो जाए उसका समर्थन करना चाहिए। लाखों बच्चें जो शिक्षा के प्रभाव में आने का इंतजार कर रहे हैं, उनका कल्याण इसी पर निर्भर करता है।''

विडम्बना यह रही कि आजादी के पहले और बाद के छह दशकों के दौरान कुछ गंभीर प्रयासों के बावजूद 2010 में पहले यह एक न पूरा होने वाला सपना ही था। विगत सौ वर्षों में इस दिशा में किए गए कुछ प्रयास निम्नलिखित है –

– 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले के अनिवार्य शिक्षा के लिए दिए प्रस्ताव के पश्चात् 1937 में गाँधी जी ने सार्वजनिक शिक्षा की बात उठाई

– 1951 में भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मान्यता दी गई थी, पर यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल रहा।

– 1968 की शिक्षा नीति में कहा गया कि अनुच्छेद 45 में दिये गये सिद्धान्तों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास किये जाने चाहिए।

– 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पुनः संकल्प लिया गया कि 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए आवश्यक रूप से निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जायेगा।

– 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि शिक्षा पाना हर बच्चे का मौलिक अधिकार है।

– 1997 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया।

– वर्ष 2002 में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया गया जब संसद ने 86वां संविधान संशोधन कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। इस संशोधन द्वारा एक नया अनुच्छेद 21 (ए) को संविधान में जोड़कर 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। 12 दिसम्बर 2002 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी प्रदान की।

– अक्टूबर 2003 में उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित कानून, मसलन बच्चों के लिए मुफ्त औरअनिवार्य शिक्षा विधेयक 2003 का पहला मसौदा तैयार कर वेबसाईट पर डाला गया और आम लोगों से इस पर राय और सुझाव आमंत्रित किये गए।

– सन् 2004 में मसौदे पर प्राप्त सुझावों के मद्देनजर मुफ्त और अनवार्य शिक्षा विधेयक 2004 का संशोधित प्रारूप तैयार किया गया।

– जून 2005 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार पार्षद समिति ने शिक्षा के अधिकार विधेयक का एक और प्रारूप तैयार किया और उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपा।

– 14 जुलाई 2006 में वित्त समिति और योजना आयोग ने इस विधेयक को आवश्यक कोष अभाव का कारण बताते हुए नामंजूर कर दिया और एक मॉडल विधेयक तैयार कर आवश्यक व्यवस्था करने के लिए राज्यों को भेजा।

– दिसम्बर 2008 में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और काफी बहस के बाद 15 दिसम्बर 2008 को इसे मंजूरी मिल गई।

– अगस्त 2009 को संसद ने इस ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी देकर इसे कानून का करार दे दिया।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 भारत की संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। इसी अधिनियम को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा मंजूरी 2 जुलाई 2009 को प्रदान की गई। राज्य सभा द्वारा 20 जुलाई 2009 तथा लोक सभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। इस अधिनियम को संसद द्वारा पारित किये जाते समय लोक सभा में 113 तथा राज्यसभा में 54 सांसद उपस्थित थे। 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के राजपत्र या गजट में प्रकाशित किया गया। 1 अप्रैल 2010 को लागु किया गया।

उत्तरप्रदेष निःषुल्क एवं अनिवार्य बाल षिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रमुख तथ्य –

1993 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में यह माना गया कि शिक्षा पाना हर बच्चें का मौलिक अधिकार है। लगभग सत्रह साल बाद ''शिक्षा का अधिकर'' पर संसद की मोहर लगी। मुफ्त और अनिवार्य 'शिक्षा के अधिकार' अधिनियम के जरिए 6–14 साल के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को कानूनी अधिकार बनाया गया है। सात अध्यायों और एक अनुसूची में विस्तार लेता हुआ यह अधिनियम अपने पहले

अध्याय 'प्रारंभिक' में अधिनियम में लाए गए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या करता है। जिनमें से कुछ मुख्य शब्द अधिनियम में दी गई व्याख्या के साथ नीचे दिए जा रहे है –

अध्याय –1 'प्रारंभिक' से

– **'बच्चा' –** इसका अर्थ है कोई भी बच्चा (लड़का या लड़की) जो 6–14 वर्ष के बीच में है।

– **'वंचित समूह का बच्चा'** – इसका अर्थ है वह बच्चा जो उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना किसी समूह जैसे – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग या कोई अन्य समूह जिसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लैंगिक या इसी तरह के किसी कारक के कारण असुविधा है, से संबंध रखता है।

– **'कमजोर वर्ग का बच्चा'** – इसका अर्थ है बच्चे के अभिभावको या माता–पिता की वार्षिक आदमनी, उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित आमदनी की निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम है।

– **'आरंभिक शिक्षा'** – का अर्थ है कक्षा एक से आठ तक की शिक्षा।

– 'विद्यालय' – का अर्थ है कोई भी मान्यता प्राप्त विद्यालय जो आरंभिक शिक्षा दे रहा हो और इसमें शामिल है –

1. विद्यालय, जो उपयुक्त सरकार द्वारा स्थापित हो, उसके स्वामित्व में हों या स्थानीय प्राधिकरण द्वासरा नियंत्रित हों।

2. एक अनुदान प्राप्त विद्यालय जो अपने आंशिकपूर्ण व्यय के लिए उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकार से अनुदन प्राप्त कर रहा हो।

3. एक विद्यालय जो निर्धारित वर्ग में आता है। विद्यालय के संदर्भ में निर्धारित वर्ग का अर्थ है केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय या फिर ऐसा कोई भी विद्यालय जो ऐसी अलग विशेषता रखता हो जिसे उपयुक्त सरकार ने अधिसूचना जारी कर निर्धारित किया हो।

4. एक विद्यालय जो अपने खर्च के लिए उपयुक्त सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार से किसी तरह का भी अनुदान प्राप्त नहीं कर रहा है।

अध्याय – 2 'मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार' से

अध्याय 2 के कुछ मुख्य बिन्दु इस प्रकार है –

1. 6–14 वर्ष की उम्र के किसी भी बच्चे को पडौस के स्कूल में आरम्भिक शिक्षा पूरी होने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। किसी भी बच्चे को आरम्भिक शिक्षा लेने के लिए ऐसा कोई भी व्यय नहीं करना होगा अथवा शुल्क नहीं देना होगा जो उसे आरंभिक शिक्षा में आगे बढ़ने अथवा पूरी होने से रोक सके। किसी प्रकार की विकलांगता (विकलांगता से प्रभावित व्यक्तियों के लिए बना कानून,1985 के अनुसार) से प्रभावित बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।

2. यदि छः साल के ऊपर के किसी बच्चे ने किसी स्कूल में दाखिला नहीं लिया या अपनी आरंभिक शिक्षा नहीं पूरी कर पाया तो उसे उसकी उम्र के अनुरूप कक्षा में दाखिला मिलेगा। इस स्थिति में उसे दूसरे विद्यार्थियों के बराबर आने के लिए उसी समय सीमा (जैसी निर्धारित हो) में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा। आरंभिक कक्षा के लिए दाखिल बच्चे को 14 वर्ष के बाद भी तब तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी जब तक उसकी आरंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती।

अध्याय – 3 'उपयुक्त सरकार स्थानीय प्राधिकरण और अभिभावकों के कर्त्तव्य' से –

अध्याय – 3 के कुछ मुख्य बिन्दु इस प्रकार है –

1. इस कानून के प्रावधान लागू करने के लिए उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण को उनके क्षेत्रों या पडौस की सीमा में जैसा कि निर्धारित किया गया हे यदि स्कूल न हो तो इस कानून के लागू होने के तीन वर्ष के भीतर स्कूल की स्थापना करनी होगी।

2. इस कानून के प्रावधानों को लागू करने हेतु धन मुहैया कराने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की होगी।

3. केन्द्र सरकार अकादमिक प्राधिकारियों की सहायता से राष्ट्रीय पाठ्यचार्या की रूपरेखा विकसित करेगी। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानक विकसित करेगी तथा लागू करेगी। नवाचारों, शोधों, योजनाओं

और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को तकनिकी सहायता तथा संसाधन उपलब्ध करायेगी।

4. उपयुक्त सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण का यह दायित्व होगा कि भौतिक सुविधाएँ जिसमें विद्यालय भवन, शिक्षक और अधिगम उपकरण शामिल है – को उपलब्ध कराएँ, विशेष प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराएं तथा अनुसूची में निर्धारित मानकों के अनुसार अच्छी गुणवत्ता पूर्व शिक्षा सुनिश्चित करें।

5. प्रत्येक अभिभावक या बच्चों के संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को पड़ौस के विद्यालय में आरंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश दिलाएँ।

6. तीन साल से ऊपर के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा की तैयारी तथा सभी बच्चों की पूर्व बाल्यावस्था देख–रेख तथा शिक्षा जब तक कि वे छह साल के नहीं हो जाते के मध्यनजर उपयुक्त सरकार ऐसे बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने के आवश्यक प्रबंध करेगी।

अध्याय – 4 'विद्यालयों तथा शिक्षकों के दायित्व' से –

1. सभी प्रकार के सरकारी विद्यालय, प्रवेश लेने वाले सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगें।

2. सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय ऐसे अनुपात में बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेंगे जिसमें उनके अनुपात का न्यूनतम 25 प्रतिशत हिस्सा खर्च हो।

3. पूरी तरह से निजी विद्यालय कक्षा एक के लिए निर्धारित विद्यार्थी की संख्या का न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चे पड़ौस के कमजोर वर्ग तथा वंचित वर्ग से लेंगे और उन्हें आरंभिक शिक्षा के पूरी होने तक मुफ्त अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेंगे।

4. कोई भी विद्यालय या व्यक्ति बच्चे के प्रवेश के समय किसी भी तरह का प्रतिव्यक्ति (केपिटेशन) शुल्क नहीं लेगा और न ही बच्चे के अभिभावकों और संरक्षकों की परीक्षा। ऐसा करेन वाले विद्यालय को जुर्माना देना पड़ सकता है।

5. किसी बच्चे को उम्र के प्रमाण–पत्र के अभाव में विद्यालय में प्रवेश लेने से रोका नहीं जा सकेगा।

6. किसी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और आरंभिक शिक्षा के पूर्ण होने तक स्कूल से निकाला नहीं जाएगा।

7. किसी बच्चे को शारीरिक सजा या मानसिक यंत्रणा नहीं दी जाएगी। ऐसी सजा देने वालों के खिलाफ अनुशासिक कार्यवाही की जाएगी।

8. शिक्षक को विद्यालय में अपनी उपस्थिति और नियमितता बनाए रखनी होगी। पूरी पाठयचर्या को निर्धारित समय में पूरा करना होगा। प्रत्येक बच्चे की अधिगम योग्यता का आंकलन करना होगा और उसी के अनुसार आवश्यक निर्देश देने होंगे। शिक्षक को अभिभावकों को उनके बच्चों की उपस्थिति में नियमितता, सीखने की योग्यता, सीखने में की गई प्रगति और बच्चे के बारे में कोई भी अन्य सार्थक सूचना से अवगत कराना होगा।

9. कोई भी शिक्षक जनगणना, आपदा राहत कार्य या चुनाव कार्य के अलावा किसी गैर–शैक्षिक कार्यों के लिए नहीं भेजा जाएगा।

10. कोई भी शिक्षक निजी ट्यूशन/शिक्षण नहीं करेगा।

अध्याय – 5

इस अध्याय की मुख्य बातें इस प्रकार है –

1. आरंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और मूल्यांकन विधियाँ किसी अकादमिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएँगी जिसका ब्यौरा उपयुक्त सरकार से अधिसूचना जारी कर दिया है।

2. अकादमिक प्राधिकारी पाठयचर्या और मूल्यांकन प्रविधियाँ का निर्धारण करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान में रखेंगे –

(अ) बच्चों का सर्वांगीण विकास

(स) बच्चों के ज्ञान, तथा प्रतिभा का निर्माण

(द) शारीरिक तथा मानसिक योग्यताओं का पूर्ण रूप से विकास

(य) गतिविधियाँ, खोज और अन्वेषण की सहायता से बाल–केन्द्रित और बाल–मित्रवत् तरीके से अधिगत

(र) शिक्षण का माध्यम, जहाँ तक व्यवहारिक हो, बच्चों की मातृभाषा

(ल) बच्चों को डर, सदमें और चिंता से दूर करना और उनके विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति में मदद करना।

(व) बच्चों के ज्ञान की समझ तथा उसका अनुपयोग करने की योग्यता का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन

3. आरंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी।

अध्याय – 6 'बच्चो के अधिकार की रक्षा' से – इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदु है –

राष्ट्रीय बाल अधिकार रक्षा आयोग तथा राज्य बाल अधिकार रक्षा आयोग पहले से ही निर्धारित कार्यों के साथ–साथ निम्नलिखित कार्य भी करेंगे –

1. इस अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए अधिकारों की रक्षा के तरीकों की जाँच तथा समीक्षा और इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तरीकों की संस्तुति की गई है।

(अ) मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का बच्चे का अधिकार से संबंधी शिकायतों की जांच।

(ब) बाल अधिकार रक्षा अधिनियम के अंतर्गत सुझाए गए आवश्यक कदम उठाना।

अध्याय – 7 'मिश्रित' से –

अध्याय–7 के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित है –

1. केन्द्र सरकार उपयुक्त सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्यों से उपयुक्त दिशा निर्देश दे सकती है।

2. उपयुक्त सरकार स्थानीय प्राधिकरण या विद्यालय प्रबंधन समिति को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु उचित दिशा–निर्देश दे सकती है।

3. स्थानीय प्राधिकरण विद्यालय प्रबंधन समिति को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए उचित दिशा–निर्देश दे सकता है।

अनुसूची

इस अधिनियम की अनुसूची में विद्यालय के लिए मानक दिए गए हैं जिसमें कक्षा एक से कक्षा पाँच तक प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की संख्या निर्धारित की गई है। अनुसूची में विद्यालय भवन के लिए भी मानक निर्धारित किए गए है। विद्यालय में सभी ऋतुओं के लिए उपुयक्त होना चाहिए।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक दृष्टि में

– शिक्षा का अधिकार अधिनियम में 7 अध्याय तथा 38 धाराएँ है। इसका ऐतिहासिक परिपेक्ष्य अनुच्छेद 45 के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा 86वें संविधान संशोधन में दिखाई देता है।

– प्रारम्भिक शिक्षा के लिए नामांकन, उपस्थिति एवं सम्पन्नता सुनिश्चित करने के लिए राज्य पर बाध्यता होगी। बच्चों को विद्यालय भेजना माता–पिता का कर्त्तव्य है यहीं सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बल/हिंसा/दबाव का इस्तेमाल किये बिना अन इच्छुक माता–पिता अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए मनाये । वित्तीय समस्या किसी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा से वंचित नहीं कर सकती।

– प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 किलोमीटर के दायरे में बच्चों को यातायात एवं आवासीय सुविधाऐं उपलब्ध कराई जाये ताकि वह प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर सके।

– हर बच्चें को उसकी आयु के अनुसार कक्षा में नामांकित किया जाए। विद्यालय परिसर में समीप विशेष प्रशिक्षण में आयु अनुसार दिये जाये। विशेष प्रशिक्षण की अवधि 3 माह से लेकर अधिकतम 2 वर्ष हो सकती है।

– कक्षा 1–5 तक में 60 बच्चे होने पर 2 शिक्षक, 61–90 होने पर 3 शिक्षक, 91–120 होने पर 4 शिक्षक तथा 125–200 होन पर 5 शिक्षक तथा 1 प्रधानाध्यापक होगा। छात्र शिक्षक अनुपात 1:40 प्राथमिक स्तर पर तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:35 रखा गया है। प्रत्येक कक्षा में पढ़ाने के लिए गणित एवं विज्ञान में से एक, सामाजिक अध्ययन में से एक तथा एक भाषा में से अध्यापक जरूर होगा।

लड़के –लड़िकियों के लिए अलग–अलग शौचालय, सुरक्षित एवं पर्याप्त एवं पानी, दोपहर के भोजन के लिए रसोई, खेल का मैदान होना चाहिए।

– एक शैक्षिक वर्ष में शैक्षिक कार्य कक्ष 1–5 तक 200 कार्यदिवस तथा 800 घण्टे रहेगा। कक्षा 6–8 तक 200 कार्यदिवस 1000 घण्टे पढ़ाना जरूरी है। शिक्षक को प्रतिसप्ताह शिक्षण व उसके तैयारी के लिए 45 घण्टे खर्च करने होंगे, यानी की 7.5 घण्टे प्रतिदिन।

– किसी भी शिक्षक को जनगणना, आपदा सहायता व चुनावी कार्यों के अलावा किसी भी कार्य में नहीं लगाया जायेगा। शिक्षक माता–पिता के साथ नियमित बैठकें करके विद्यार्थियों की नियमित प्रगति कराता रहेगा। कोई भी विद्यालय प्रवेश के समय बच्चों से फीस नहीं लेगा तथा ना ही उनकी स्क्रीनिंग प्रक्रिया या साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। शिक्षकों का दायित्व है कि वह किसी भी बच्चे को शारीरिक व मानसिक दण्ड नहीं देगा। गुणवत्तायुक्त प्राथमिक शिक्षा की सुनिश्चितता के लिये अध्यापकों का गुणवत्ता परीक्षण किया जायेगा।

'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' के सात अध्याय और एक अनुसूची एक ओर तो परिवर्तन की और इशारा करते हैं तो दूसरी ओर बहुत से जिन्हें हमारा शैक्षिक समुदाय अन्य महत्वपूर्ण समुदायों (राजनीतिक, सामाजिक, व्यावसायिक इत्यादि) के साथ मिल बैठकर साझा कर सकता है और रास्ते निकाल सकता है ताकि परिवर्तन बिना बाधा के रहे।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. एडलर ए. (1964) प्रोब्लम ऑफ न्यूरोसिस न्यूयॉर्क : हार्पर एंड रो।
2. ढोढियाल एवं. फाटक (1977), ''शैक्षिक अनुसंधान का विधि शास्त्र'', जयपुर : राज. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
3. गुप्ता जितेन्द्र (2021) : ''साम्यवाद, लोकतंत्र और हाईरॉक्रि'', समयांतर, नई दिल्ली।
4. पाठक पी.डी. (2018) : ''भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याऐं'', अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
5. कुमार कृष्ण (2016) : ''बच्चे की भाषा और अध्यापक'', (पुनर्मुद्रित), नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली।
6. महरोत्रा, ममता (2017) : शिक्षा का अधिकार अधिनियम (त्ज्म् ।बज)'', प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
7. प्लकर, जोनाथन (2019) : (jpluckerAT Indiana.edu)
8. सफाया आर.एन (2020) : ''उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक'', धनपतराय पब्लिकेशन, कंपनी
9. सरीन शशिकला एवं सरीन अंजनी (2023) : शैक्षिक अनुसंधान विधियां, अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा।
10. बैरवा अशोक, (2021) : शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति अध्यापको व अभिभावकों के दृष्टिकाण का अध्ययन, एम.एड. लघु शोध प्रबंध क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
11. सेवानी, अशोक, एवं सिंह नगेन्द्र (2020) : समकालीन भारत में शिक्षा, अल्का पब्लिकेशन, अजमेर।
12. चौधरी रजनी (2023) : ''ऐग्जामिनेशन ऑफ राईट टू एज्यूकेशन ऐस ऐ ह्यूमन राईट'' दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

13. कुमार दिनेश (2022) : ''बचपन के कंधो पर डुगडुगी'', कंटेम्परी डायलॉग, नवम्बर वर्ष –1, अंक 2, 3

पत्रिकाएँ

1. एजेकेशन ट्रेक : पब्लिशर्स सुरेश चन्द शर्मा
2. डी.बी. जासवाल : एम.पी. (1972) : इण्डियन एजुकेशन रिव्यू ।
3. डी. रोनाल्ट जेट एल (1991) : साइकोलॉजोकल एब्सट्रेट।
4. भारतीय आधुनिक शिक्षा, एन.सी.आर.टी., नई दिल्ली।
5. प्राथमिक शिक्षक, एन.सी.आर.टी., नई दिल्ली।
6. परिप्रेक्ष्य, न्यूपा, नई दिल्ली।
7. राज. बोर्ड शिक्षण पत्रिका, अजमेर।